

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

E(NG)-II/2005/RR-1/8


New Delhi, dated 30.09.2015

The General Manager (P)
All Indian Railways/PUs,
Chairman/RRBs.

Sub: Recruitment to non-gazetted posts on the Railways – Adherence to prescribed qualification in recruitment from open market - Clarification regarding.

Attention is invited to this Ministry's letter of even number dated 28/8/2014 on the above subject. References are being received in this office regarding the applicability of the said instructions w.r.t other aspects as mentioned in para 3 of the letter *ibid*, apart from recognition of institutions. Accordingly, the matter has been looked into and it is clarified that the issues of duration of a course, equivalence etc. may also be confirmed by the concerned recruiting agency/appointing authority, contacting directly to the Board/University/Institution or the Council as the case may be, provided the said body is run by Central Government/State Government Bodies enacted by Act of Parliament or State Legislature or recognized by Central Government/State Government Bodies enacted by Act of Parliament or State Legislature.

(This also disposes off RRB/Patna's letter No. RRB/PAT/02/CEN/2010 dated 16/8/2011 and para 2 of RRB/Bhopal's letter No. RRB/BPL/Rly.Bd.Corres./87-D dated 16/01/2015).


(Neeraj Kumar)
Director Estt.(N)-II
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

ई(एनजी)-11/2005/आरआर-1/8

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2015


महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
अध्यक्ष/आरआरबी।

विषय: रेलों पर अराजपत्रित पदों की भर्ती- ओपन मार्केट से भर्ती में निर्धारित अर्हता का अनुपालन करने के संबंध में स्पष्टीकरण।


उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 28/8/2014 के समसंख्यक पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है। संस्थानों की मान्यता के अलावा उक्त पत्र के पैरा 3 में दिए गए अन्य पहलुओं के संबंध में उक्त अनुदेशों को लागू करने के बारे में इस कार्यालय में पत्र प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार, इस मामले की जांच की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त निकाय संसद अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार निकायों द्वारा चलाई जा रही हों अथवा संसद अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के नियम के अनुसार केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की निकायों द्वारा उसे मान्यता प्रदान हो तो संबंधित नियुक्ति एजेंसी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोर्स की अवधि, समकक्षता आदि के संबंध में बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा परिषद जैसा भी मामला हो से सीधे सम्पर्क करके पुष्टि कर ली जाए।

(इससे आरआरबी/पटना के दिनांक 16/8/2011 के पत्र सं. आरआरबी/पीएटी/02/सीईएन/2010 तथा आरआरबी/भोपाल के दिनांक 16/01/2015 के पत्र सं. आरआरबी/बीपीएल/रेलवे बोर्ड कोर्स/87-डी का भी निपटान हो जाता है)।


(नीरज कुमार)

निदेशक स्था. (एन)-11

रेलवे बोर्ड


20/11/15.